न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 52 / 2021

1 कौशल्या पत्नी लीलाधर पुत्री रामेश्वर दयाल।
2 शारदा पत्नी सुरेश कुमार पुत्री रामेश्वर दयाल।
3 रेणू पत्नी अनिल कुमार पुत्री रामेश्वर दयाल समस्त जाति नाई निवासीगण बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4 सुमन पत्नी मनोज कुमार पुत्री रामेश्वर दयाल।
5 मिनाक्षी पत्नी मुकेश कुमार पुत्री रामेश्वर समस्त जाति नाई निवासीगण मावण्डा खुर्द तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
6 निरमा पत्नी सोनू पुत्री रामेश्वर दयाल जाति नाई निवासी बानसुर तहसील बानसुर जिला जयपुर।
7 ललीता पत्नी विनोद निवासी डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 दयानन्द पुत्र रामेश्वर दयाल।
9 राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल।
10 सावित्री पत्नी रामेश्वर दयाल समस्त जाति नाई निवासीगण बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नरेन्द्र कुमार पुत्र जमनाराम।
2 नन्दलाल पुत्र रामेश्वर दयाल।
3 किशोर कुमार पुत्र नारायण समस्त जाति सैन निवासीगण डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 दौलत पुत्र रामेश्वर दयाल जाति नाई निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 हल्का पटवारी ग्राम डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 416/2017 उनवानी नरेन्द्र कुमार बनाम सावित्री देवी निर्णय दिनांक 13.12.2019

उपस्थिति :

1. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानुराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

--निर्णय--

दिनांकः— 07.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 416/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी नरेन्द्र कुमार ने विचारण न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिनियम उनवानी नरेन्द्र बनाम सावित्री प्रकरण संख्या 416/2017 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 417 रकबा 0.54 हैक्टेयर ग्राम डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमि के उत्तरी पूर्वी और भूमि खसरा नम्बर 704,702,703 व 693 से होता हुआ मुख्य सड़क तक आवागमन हेतु कदीमी 20 फुट रास्ता निर्मित है। इसलिए उक्त रास्ते को विपरित नाम हजब किया जाकर रास्ते में कटान किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की सम्यक रूप से तामील मानकर दिनांक 13.12.2019 को रास्ता कटान में किए जाने के आदेश पारित कर दिये है। इससे व्यथित यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के दिन भूमि खसरा नम्बर 702,703,704 व 693 का खातेदार रामेश्वर दयाल था। रामेश्वर दयाल के प्रथम श्रेणी के कुल 14 वारिसान है। प्रार्थी ने समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाकर केवल सावित्री, राजेन्द्र, दौलत व नन्दलाल को ही पक्षकार बनाया है। विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट से पूर्व पक्षकारों को सुचित नही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट में निकटतम दूरी के रास्ते का एवं वैकल्पिक रास्ता होने व नही होने का कोई अंकन नही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 2 व 3 की सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट संख्या 1 से 6 विचारण न्यायालय मे पक्षकार नही थे, इसलिए विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हुई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा रामेश्वरलाल के विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से जरिये वकील उपस्थिति रही है। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय को शेष वारिसान के सन्दर्भ में कोई जानकारी नही दी गई है। विचारण न्यायालय में सभी पक्षकारों की सम्यक तामील होने पर विधि अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील मियाद बाहर है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के दिन भूमि खसरा नम्बर 702,703,704 व 693 का खातेदार रामेश्वर दयाल था। रामेश्वर दयाल के प्रथम श्रेणी के कुल 14 वारिसान है। प्रार्थी ने समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाकर केवल सावित्री, राजेन्द्र, दौलत व नन्दलाल को ही पक्षकार बनाया है। विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट से पूर्व पक्षकारों को सुचित नही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट में निकटतम दूरी के रास्ते का एवं वैकल्पिक रास्ता होने व नही होने का कोई अंकन नही किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 2 व 3 की सम्यक तामील नही हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

अपीलांट संख्या 1 से 6 विचारण न्यायालय मे पक्षकार नही थे, इसलिए विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हुई। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर, जवाब प्राप्त कर, समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर